सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 17, गुरूवार, शाके 1942- मई 7, 2020 *Vaisakha 17, Thursday , Saka 1942- May 7, 2020*	

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2020

एस.ओ.239:-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 38)की धारा 17-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, मण्डी क्षेत्र में लायी गयी या क्रीत या विक्रीत की गई कृषि उपज पर मण्डी समितियों द्वारा उद्ग्रहणीय कृषक कल्याण फीस की दर, प्रति एक सौ रूपये पर रूपये 2.00 (दो रूपये मात्र) विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75-पार्ट]
राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ0एस0पी0सिंह,
संयुक्त शासन सचिव

536
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।